



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022021-224896
CG-DL-E-03022021-224896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]
No. 451]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 2021/माघ 13, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 2021/MAGHA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

का.आ. 495(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किया जाना है के किमी 63.779 किमी से 88.418 किमी, विनिष्ट किया जाना है के किमी 88.418 किमी. से 111.762 किमी. तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- विनिष्ट किया जाना है तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेनुए डिविशनल अफसर,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	तेलंगाना	जयशंकर भूपालापल्ली	टेकूमाटला	1 वेलचल

	भुपालपल्ली	विनिष्ट किया जाना है के कि.मी. 63.779 से 88.418 तक			
2	रेवेनुए डिविशनल अफसर, परकाल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या विनिष्ट किया जाना है के कि.मी. 88.418 से 111.762 तक	तेलंगाना	वारंगल(ग्रामीण)	परकाल 1 लक्ष्मीपुरम

[फा. सं. NHAI/PIU-WGL/M-W/2020]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd February, 2021

S.O. 495(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 63.779 to Km. 88.418 of the No Yet to be Assigned, Km. 88.418 to Km. 111.762 of the No Yet to be Assigned for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of TELANGANA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. No Yet to be Assigned in the State of TELANGANA.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional Officer, Bhupalpally	63.779KM To 88.418KM	TELANGANA	JAYASHANKAR BHUPALPALLY	Tekumatla	1 Velchal
2	Revenue Divisional Officer, Parkal	88.418KM To 111.762KM	TELANGANA	Warangal(Rural)	Parkal	1 Laxmipuram

[F.No. NHAI/PIU-WGL/M-W/2020]

RAJESH GUPTA, Director